प्रकरण संख्या 09/2024 शंकर व अन्य बनाम छगन व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष बादरा जी के वंशज हैं, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर बादरा के 5 पुत्र कमा, वेलजी, रूपा, वागा व छगन हुए। कमा की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं तथा बादरा के शेष पुत्र जीवित होकर वादीगण हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खाते की आराजी नंबर 477, 478, 528 से 532, 533/2 कुल किता 8 रकबा 17 बीघा 1 बिस्वा भूमि ग्राम भचडिया खास, तहसील चीखली में स्थित है, जिसमें प्रत्येक वादीगण का 1/5, 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा है, किन्तु प्रतिवादीगण समस्त भूमि अपनी बताकर विवाद करते हैं। अतः विवादित आराजियात का उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर खाते पृथक–पृथक किये जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.06.2024 को वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर वाद डिक्री कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 23.07.2024 को आदेश 9 नियम 13 एवं आदेश 21 नियम 26 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अनपढ़ कृषक होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अतः एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 26.07.2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 एवं आदेश 21 नियम 26 खारिज कर दिया, जिससे [illegible] द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.08.2[illegible] को [illegible] की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो[illegible]गण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की [illegible] से राजकीय पैरोकार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:52 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी
कृषक राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट के ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण शुक्ला उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट अनपढ़ कृषक होकर रोजगार हेतु गुजरात में रहते हैं इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी गयी। प्रकरण को द्विपक्षीय करने के लिए अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 एवं आदेश 21 नियम 26 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रार्थीगण न्यायालय में बार–बार अनुपस्थित रहा है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त की जावे तथा अपीलान्टगण के विरूद्ध पारित एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाकर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कराया जावे।

विद्वान राजकीय पैरोकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 23.09.2022 को प्रतिवादी/अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा दिनांक 07.06.2024 को वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी। दिनांक 23.07.2024 को अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 9 नियम 13 एवं आदेश 21 नियम 26 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2024 को निरस्त कर दिया गया। आदेश 9 नियम 13 अनुसार "किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गयी है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त कराने के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा डिक्री पारित की गयी थी और यदि वह न्यायालय यह समाधान कर दे कि, समन की तामील

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:52 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

सम्मक् रूप से नहीं गयी थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा था तो खर्च के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक अपास्त कर दी जाये और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा। परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी।"

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद विभाजन बाबत् था, जिसमें प्रतिवादी/अपीलान्टगण भी सहखातेदार होकर उनके मध्य संयुक्त विभाजन चाहा गया था। ऐसी स्थिति में सहखातेदार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर उनके सुनकर ही प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना विधि सम्मत था, किन्तु प्रतिवादी/अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से वह प्रकरण में अपना पक्ष नहीं रख सके तथा साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नहीं कर सके। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 151/2018 दिनांक 26.07.2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी/अपीलान्टगण को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर एवं सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि के आलोक में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:41:52 IST
Reason: SelfAttested